

148
3:20

संख्या- 08 / VI-2/2018-51(10)16

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 08 जनवरी, 2018

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के अन्तर्गत अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवार्य में युवा कल्याण विभाग को 01-वेतन मानक मद में प्राविधानित बजट अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1619/दो-लेखा/2898-A/2017-18 दिनांक 14.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये प्रेषित प्रथम अनुपूरक मांग में 01-वेतन मानक मद हेतु रू० 48.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रवाधानित बजट में प्रथम अनुपूरक से प्राविधानित धनराशि ₹ 35.00 लाख को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं०-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या-490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016, शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 तथा शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।
- उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।
- व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक मांग के अन्तर्गत अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2204-खेल कूद तथा युवा सेवाएँ-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण-01-वेतन मानक मद के नामें डाला जायेगा।

भवदीया,


(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या ०४ / VI-2 / 201४-51(10)16, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. वरिष्ठ कौषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गिरीश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।